न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 77 / 2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर –2019 / 00236

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. चेनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत 2. घीसु कवंर पत्नी उदयसिंह जाति राजपुत निवासीगण बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली		1. पर्बतसिंह पुत्र दलपतसिह जाति राजपुत, निवासी बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली 2. ग्राम पंचायत बेडल जरिये सरंपच महोदय तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 18.05.22

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बेडल द्वारा मिसल संख्या 03 / 2016–17, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.01.2018 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 83 दिनांक 09.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया, तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बाद नोटिस तामिल अनुपस्थित । अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत बिरोलिया में प्रार्थी का पुश्तैनी रहवासीय मकान व चौक है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रेषित है। प्रार्थी के पिता उदयसिंह एवं अप्रार्थी के पिता दलपतसिंह दोनो सगे भाई है वर्तमान में दोनो का देहांत हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे के लाल स्याही से दर्शित भुमि के संबध में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 38 दिनांक 11.07.2005 द्वारा पटटा जारी करवा दिया गया। जिसके संबध में श्रीमान के न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 01 / 2011 पेश की गई जिसमें दिनांक 02.03.2012 को निर्णय पारित कर निगरानी स्वीकार कर मिसल संख्या 38 / 112.07.2018 की पालना में जारी पटटा खारिज कर दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, मौके पर बने मकानों के स्वामित्व की जांच कर खाली पड़े स्थान को खाली ही रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमान के आदेश की अवहेलना करते हुए अयुक्त स्वामित्व भुमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। श्रीमान द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 01 / 2011 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2012 के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय मे सिविल रिट याचिका संख्या 4394 / 2012 पेश की गई। जिसको अप्रार्थी ने दिनांक 12.09.2016 को विड्रो कर लिया। जिसके परिणास्वरूप श्रीमान का आदेश दिनांक 02.03.2012 यथावत रहा, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत में दिनांक 29.07.2016 को एक आवेदन पेश किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत बेडल को उसकी पुश्तैनी मकान का पटटा बनाने का आदेश दे दिया है इसलिए 33 फिट चौडा व 100 फिट लम्बाई का

अति० जिला कलक्टर, पाली

पटटा बनाने का निवेदन किया। अपने आवेदन में मकान का पड़ौस पुर्व में आम रास्ता, पश्चिम मे अप्रार्थी एवं उसके बड़े पिता का शामलाती पड़त प्लोट, उत्तर में सोहनसिंह गोदपुत्र बहादुरसिंह का मकान एंव दक्षिण में जालमसिंह पुत्र कानसिंह का रहवासीय मकान बताया, लेकिन वास्तविकता में उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश पारित किया ही नही था कि अप्रार्थी के पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाया जावे। ग्राम पंचायत बेडल द्वारा अप्रार्थी की आपसी मिलीभगत से जैर निगरानी मकान का पटटा जारी करवा लिया गया। ग्राम पंचायत बेडल ने उपरोक्त मिसल में दिनांक 22.11.2016 को आदेश पारित करते हुए दोनो पक्षों को श्रीमान द्वारा निर्णय दिनांक 02.03.2012 की पालना में नोटिस जारी करना बताया जिसके संबध में प्रार्थी ने जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया था। जवाब में विवादित सम्पति शामलाती संपति होना बताया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त जवाब प्रस्तुति के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया साथ ही सचिव को मौके पर जाकर नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया गया। उक्त विवादित सम्पति के संबध में अप्रार्थी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश बाली के न्यायालय में विभाजन व घोषणा का वाद पेश किया जो विचाराधीन है। ग्राम पंचायत बेडल द्वारा उपरोक्त विवादित भुमि संबध में कायम मिसल की आदेशिका दिनांक 20.01.2018 में पत्रावली को निर्णित करते हुए अप्रार्थी सख्या एक के पक्ष में पटटा जारी करने के का आदेश पारित कर दिया जबकि सम्पुर्ण मिसल में कहीं भी यह स्पष्ट नही है कि अप्रार्थी संख्या एक की पुश्तैनी भुमि कितनी है। उसका नाप, क्षैत्रफल, पडौस, निर्मित भाग कितना है, खुला भाग कितना है, भूमि संयुक्त है या विभाजित है इस संबध में ग्राम पंचायत बेडल द्वारा किसी प्रकार की जांच नही की गई। अप्रार्थी ने पटटे हेतु आवेदन में 33 बाई 100 फिट का पटटा चाहा था जबकि जैर निगरानी पटटा मात्र 28 बाई 65 का दिया गया था वास्तव में 28 बाई 65 की भूमि निर्मित नही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा न किसी प्रकार का आपत्तियां आमत्रित की न ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली के दस्तावेजों का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट पंचायत में दिनांक 26.05.2017 को पेश की गई लेकिन मौका निरीक्षण कब किया गया यह कहीं भी स्पष्ट नही है ग्राम पंचायत बेडल द्वारा लिये गये बयान जेठुसिंह एवं गणपतसिंह जो दोनो सगे भाई है। जिनके बयान मिसल के सलंग्न है वह कम्प्युटर फॉरमेट है। मिसल में दिनांक 20.01.2018 को आदेशिका द्वारा निर्णय करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने का आदेश कर देने के पश्चात करीब 02 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद दिनांक 09.12.2019 को अलग से पट्टा विलेख का आदेश पारित किया गया। ग्राम पंचायत बेडल ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन नही किया। अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट विझो करने पर श्रीमान के न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2012 को पारित आदेश प्रभावी हो जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत बेडल ने आदेश के विपरित जाकर जैर निगरानी आदेश मय पट्टा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत बेडल द्वारा समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई। उक्त आराजी के संबध में उपर जिला न्यायालय बाली में बंटवाडा एंव आधिपत्य हेतु दिनांक 16.07.2012 को वाद पेश किया गया था जो वर्तमान में विचाराधीन होने के बावजुद भी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया जैर निगरानी पट्टे में वर्णित माप अनुसार मकान मौके पर नही है जैर निगरानी पटटा विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अति० जिला कलक्टर, पाली

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के सलंग्न अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि जैर निगरानी

आराजी के संबध में ग्राम पंचायत बेडल को इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2011 बअनवान उदयसिंह बनाम परबत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2012 में आदेशित किया गया था कि दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष के मौके पर बने मकानों के स्वामित्व की जांच कर वर्तमान में खाली पडे हिस्से को खाली ही रखते हुए मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार जांच कर पंचायत नियमो के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। अप्रार्थी परबतसिंह द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर में एक सिविल रिट दायर की जिसे बाद में अप्रार्थी परबत सिंह द्वारा रिट को विड्रो कर लिया गया जिसके फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2012 को पारित आदेश यथावत रह जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश किया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पुश्तैनी मकान का पटटा बनाने का आदेश पारित किया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत से मिलकर भूमि का पट्टा अकेले अपने नाम से जारी करवाया है जो विधि विरूद्ध होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत बेडल द्वारा मिसल संख्या 03/2016–17 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.01.2018 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 83 दिनांक 09.12.2019 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत बेडल को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौके की स्थिति अनुसार जांच कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली